निरीक्षण आख्या प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई.टी.आई.), कालसी, देहरादून द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार की गयी है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण सूचना अथवा अप्राप्त सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई.टी.आई.), कालसी, देहरादून के अवधि ..... से ..... तक के अभिलेखों की लेखापरीक्षा श्री संतोष कुमार गुप्ता, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री भानुप्रताप सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री विजय कुमार, वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 28.05.2016 से 01.06.2016 तक श्री ..... वरिष्ठ लेखापरीक्षक अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित सम्प्रेक्षा पर आधारित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

भाग–प्रथम

(अ) परिचयात्मक : यह इस इकाई प्रथम लेखा परीक्षा है।

वर्तमान में माह वर्ष 2005 से 04/2016 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

1. विगत सम्प्रेक्षा से अब तक निम्न अधिकारियों ने कार्यालयाध्यक्ष का पदभार संभाले रखा–

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्री उदयराज	18.08.2012 से 18.10.2013 तक
2	श्री अनिल कुमार त्रिपाठी	19.10.2013 से वर्तमान तक5

(3) अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण – शून्य

(4) सतत् अनियमिततायें: – शून्य

(5) अप्रस्तुत अभिलेख (कारण सहित): – शून्य

(6) बजट: – (धनराशि ` लाख में)

वर्ष	स्थापना		गैर–स्थापना	
	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय
2012–13	99.78	97.07	58.96	55.76
2013–14	63.81	61.67	00.18	00.14
2014–15	72.73	70.24	1.54	1.08
2015–16	83.30	76.50	10.21	8.31

भाग–दो 'ब'

प्रस्तर 1 : विभागीय शिथिलता के कारण वर्ष 2014–15 में ` 195.44 लाख के सापेक्ष 194.26 लाख की धनराशि अवमुक्त होने के बावजूद भी भवन का निर्माण कार्य एमओयू की शर्तों के विरूद्ध निर्धारित समय (18 माह) के व्यतीत हो जाने के बावजूद भी अपूर्ण रहना।

इकाई की संप्रेक्षा के दौरान पाया गया कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, त्यूनी के निर्माण कार्य हेतु कार्यकारी संस्था उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लि. के साथ समझौता पत्र (Memorandum of Uderstanding) के साथ अनुबंध किया गया था।

सारांश में परियोजना से सम्बन्धित सूचना निम्न सारणी में दर्शाई गई है–

कार्यस्थल का नाम	कार्य का बजट (स्वीकृत लागत) लाख ` में	निर्माण इकाई का नाम	निर्माण इकाई को अवमुक्त बजट (लाख ` में)	संप्रेक्षा तक प्रयुक्त बजट	कार्य प्रारम्भ/समाप्त होने की तिथि	वर्तमान स्थिति
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, त्यूनी, देहरादून के भवन का निर्माण	195.44	उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लि. पौड़ी इकाई	58.63	30.17	(22.01.2015 को कार्य प्रारम्भ)	15 प्रतिशत पूर्ण

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, त्यूनी, देहरादून के भवन का निर्माण कार्य जनवरी, 2015 में ` 195.44 लाख के स्वीकृत बजट (शासनादेश सं. 223/XLI–1/2015–51 (प्रशि.)/2015) और ` 58.63 लाख अवमुक्त करने के साथ हुआ था।। पत्रावली के अवलोकन में पाया गया कि 18 माह व्यतीत हो जाने के उपरांत भी केवल 15 प्रतिशत कार्य ` 30.17 लाख के व्यय के सापेक्ष पूर्ण हो सका था।

निर्माण कार्यों के संबंध में शिथिलता बरते जाने को लेकर शासन द्वारा पत्रांक 8139–41/डीटीईयू/प्रशि./भूमि–भवन/2015, दिनांक 22 मई 2015 के माध्यम से समस्त सहायक निदेशक एवं उपनिदेशक के वेतन आहरण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया था।

निर्माण कार्यों की प्रगति के संबंध में नोडल अधिकारी द्वारा उप निदेशक को लिखे गए पत्रांक स्था./0918/भूमि भवन/1495, दिनांक 30 जुलाई 2015 में उ.प्र. राजकीय निर्माण निगम लि. श्रीनगर गढ़वाल (निर्माण एजेंसी) के साथ एमओयू के बाद वर्ष 2014–15 में ` 195.44 लाख के सापेक्ष 194.26 लाख की धनराशि अवमुक्त करने की बात कही है।

एमओयू की शर्तों के अनुसार भवन निर्माण निर्माण का कार्य 18 महीनों में पूर्ण होना था जबकि निर्माण–पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि 15 माह व्यतीत हो जाने के बाद भी महज 15 प्रतिशत कार्य ही पूर्ण हो सका है।

निर्माण कार्य में हुए विलंब के कारणों के बारे में संप्रेक्षा द्वारा पूछे जाने पर इकाई ने संप्रेक्षा को अपने उत्तर में बतलाया कि यू.सी. विलंब से प्राप्त होने के कारण कार्य में विलंब हुआ है।

यह उत्तर भ्रामक है क्योंकि स्वंय इकाई को ही कार्य पूर्ण होने के उपरांत यू.सी. (उपयोगिता प्रमाण पत्र) देना होता है। अग्रिम किश्त शासन द्वारा एमओयू के समय ही अवमुक्त कर दिया गया था।

निर्माण एजेंसी ने पिछले 15 महीनों में केवल ` 30.17 लाख का ही उपभोग प्रमाण पत्र (यूसी) प्रस्तुत किया है, जबकि एजेंसी के पास अवमुक्त धनराशि का ` 28.46 लाख और अवशेष बचता हैं। इस धनराशि का उपयोग एजेंसी ने अभी तक किया है या नहीं, इस संबंध में संप्रेक्षा द्वारा पूछे जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि वर्तमान (मई, 2016) तक निर्माण एजेंसी ने पूरी धनराशि का उपयोग कर 25 प्रतिशत कार्य पूर्ण किया है। जबकि एमओयू के अनुसार 25 प्रतिशत कार्य अप्रैल 2015 तक पूर्ण होना था।

इस प्रकार विभाग निर्माण एजेंसी और शासन से सक्रियता के साथ संवाद स्थापित करने में विफल रहा है जिससे परियोजना के पूर्ण करने में विलंब हुआ। परियोजना पूर्ण करने में हुए विलंब के वजह से परियोजना की लागत बढ़ने की संभावना भी है।

अतः विभागीय शिथिलता के कारण वर्ष 2014–15 में ` 195.44 लाख के सापेक्ष ` 194.26 लाख की धनराशि अवमुक्त होने के बावजूद भी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, त्यूनी, देहरादून के भवन का निर्माण कार्य एमओयू की शर्तों के विरूद्ध निर्धारित समय (18 माह) के व्यतीत हो जाने के बावजूद भी अपूर्ण रहने के प्रकरण को उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2 ब

प्रस्तर 2 :– ` **29250.00 काशनमनी छात्रों को वापस न लौटाया जाना।**

संस्थान में प्रवेश पाने वाले छात्रों को कुछ प्रमुख नियम एवं शर्तों के साथ प्रवेश दिया जाता है जिनमें प्रवेषित प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण शुल्क दर ` 40.00 प्रतिमाह की दर से प्रशिक्षण की दर से प्रशिक्षण शुल्क प्रत्येक माह की 15 तारीख तक जमा करना, अनूसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रशिक्षार्थी प्रशिक्षण शुल्क का शुल्क मुक्त, प्रवेश के समय प्रशिक्षार्थियों से छः मा ह का प्रशिक्षण शुल्क एक साथ जमा कराना एवं प्रवेश के समय समस्त प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण शुल्क के अतिरिक्त ` 50.00 प्रतिभूति धनराशि (काशनमनी) जमा करना एवं प्रशिक्षण की संतोषजनक समाप्ति पर सरकारी देय यदि कोई हो, तो कटौती के बाद प्रतिभूति की राशि वापस करना प्रमुख थी।

प्रधानाचार्य राजकीय औद्योगिक संस्थान, कालसी देहरादून के काशनमनी संबंधित लेखा अभिलेखों की जांच में पाया गया कि वर्ष 2005 से वर्तमान वर्ष 2015 तक ` 29250.00 की काशनमनी प्राप्त हुई थी जो प्रशिक्षण की संतोषजनक समाप्ति पर सरकारी देय यदि कोई हो, तो कटौती के बाद प्रतिभूति की राशि वापस की जानी थी जो वर्तमान तक वापस नहीं की गयी थी। उक्त के संबंध में इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा अवगत कराया गया कि काशनमनी जमा धनराशियों के समायोजन हेतु उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार कार्यवाही की जायेगी। उत्तर सम्प्रेक्षा को मान्य नहीं था क्योंकि नियमों के अनुसार प्रशिक्षण की संतोषजनक समाप्ति पर प्रतिभूति की राशि वापस की जानी थी।

अतः वर्षों से पड़ी ` 29250.00 काशनमनी छात्रों को वापस न लौटाये जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग–दो 'ब'

प्रस्तर 3 : ` 1,16,564/– मूल्य की वस्तुओं का 15 वर्ष पश्चात् भी नीलामी की कार्यवाही न किया जाना।

वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियम 260–अ के अनुसार निष्प्रयोज्य वस्तुओं की यथासमय नीलामी की कार्यवाही की जानी चाहिए।

कार्यालय के नीलामी से सम्बन्धित पत्रावली की जांच में पाया गया कि इकाई के अन्तर्गत ` 01,16,564 मूल्य की वस्तुयें 15 वर्ष पश्चात् भी सम्प्रेक्षा तिथि तक, नीलामी की कार्यवाही से सम्बन्धित कोई भी प्रयास नहीं किये गये। वस्तुओं की निष्प्रयोज्य तिथि के उपरान्त यदि समयानुसार नीलामी की गई होती तो विभाग को निष्प्रयोज्य वस्तुओं की बिक्री से उचित दर राजस्व प्राप्ति के रूप में प्राप्त होती। परन्तु वस्तुओं की दिन–प्रतिदिन क्षति होने के उपरान्त वर्तमान में राजस्व प्राप्ति दर घटती जायेगी।

यदि इकाई द्वारा यथासमय नीलामी की गई होती तो राजस्व प्राप्ति में हुई हानि से बचा जा सकता था। सम्प्रेक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई ने उत्तर में कहा कि उच्चाधिकारियों से निर्देश प्राप्त कर नीलामी की कार्यवाही कर दी जायेगी।

उत्तर सम्प्रेक्षा को मान्य नहीं है, क्योंकि 15 वर्ष पश्चात् भी नीलामी की कार्यवाही न किया जाना विभागीय लापरवाही का कारण है।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग–तीन

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमिततायें, जिनका समाधान/निरकारण लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं किया जा सका है, उन्हें पृथक रूप से नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर अलग से प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई.टी.आई.), कालसी, देहरादून को इस आशय से प्रेषित की गयी की वे लेखापरीक्षा टिप्पणी की प्राप्ति के एक माह के अन्दर उसकी अनुपालन आख्या सीधे वरिष्ठ उपमहालेखाकार/सामाजिक क्षेत्र, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, सी–1/105 वैभव पैलेस, इन्दिरानगर, देहरादून को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
(सामाजिक क्षेत्र)